प्रकरण क्रमांक 1023/2022

शासन विरूद्ध मोहन लाल साहू वगैरह

Witness No----10---for--**अभियोजन साक्ष्य**----Deposition taken the--23/03/2026--day of-- **सोमवार** -witness's apparent age-- **53 वर्ष** States on affirmation---**शपथपूर्वक**---my name is—**जैतराम जोगी**--- S/of --- **श्री देवदास जोगी**----occupation----- **प्रधान आरक्षक** address---- **थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.)**

मुख्य परीक्षण प्रारंभ करने का समयः 01:00 पी.एम.

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री प्रवेश उसेंडी ए.डी.पी.ओ.

01. मैं वर्ष 2022–23 में थाना भखारा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

02. मेरे पद स्थापना के दौरान दिनांक 21.06.2022 को प्रार्थी दुर्गेश साहू थाना में उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.06.2022 को सुबह करीबन 10 बजे वह अपने पिजा जी ढाल सिंग साहू व माता लक्ष्मी बाई के साथ खेत में काम कर रहे थे एवं खेत की मिट्टी को बराबर कर रहे थे, उसी समय उनका चर्चा मोहन लाल साहू एवं उसकी पत्नी पुष्पा साहू एवं उसका लड़का कुलदीप साहू लोग भी ट्रेक्टर से अपने खेत मेड़ में काम कर रहे थे, उसी समय मेड के मिट्टी को तुम लोग हर साल काटकर अपने खेत तरफ मिला लेते हो बोलकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मोहन साहू पष्पा साहू एंव कुलदीप साहू तीनों मिलकर हाथ मुक्का से मारपीट कर रहे थे की आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था।

03. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 01है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा आहत का मुलाहिजा फार्म भरा गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी.डी.साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण

04. यह कहना सही है कि आरोपीगण ने मोहन लाल साहू ने ढालसिंह साहू, लक्ष्मी बाई साहू एवं दुर्गेश के खिलाफ दिनांक 21.06.2022 को अपने खेत की मिट्टी को काटकर अपने खेत में दुर्गेश, ढालसिंग, एवं लक्ष्मी बाई साहू के खिलाफ मारपीट एवं अश्लील गाली गलौच एवं जान से मारने की धमकी को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जो प्र.डी.02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से बभाग पर आरोपी मोहन लाल का हस्ताक्षर है।

05. यह कहना सही है कि आरोपी मोहन लाल साहू द्वारा प्रार्थी दुर्गेश एवं उसके पिता ढालसिंग, लक्ष्मी बाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करावाया था, जिसका अपराध क्र. 141/2022 है।

06. यह कहना सही है कि घटना दिनांक को प्रार्थी दुर्गेश कुमार जब आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने मेरे पास आया था तब उनके पिता ढालसिंग स्वयं चलते हुए आया था एंव अपने हाथ–पैर स्वयं चला रहा था। ढाल सिंग के बांये दांये हाथ भुंजा में किसी प्रकार का कोई खून या खरोच का निशान नहीं था।

07. यह कहना सही है कि मैंने दुर्गेश के बताये अनुसार आरोपीगण के खिलाफ जब रिपोर्ट दर्ज किया, जिनके बयान के आधार पर धारा 294, 323, 506,34 भा.द.वि.के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।

08. यह कहना सही है कि ढालसिंग आहत ने स्वयं घटना के समय अपने आयी चोट को लेकर आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया था। साक्षी स्वतः कहता है कि ढालसिंग के पुत्र दुर्गेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाया था।

09. यह कहना सही है कि दुर्गेश ने प्रथम सूचना पत्र एवं धारा 161 का बयान देते समय यह नहीं बताया था कि रामलाल उसे पकड़ लिया था और आरोपी कुलदीप ने उसे फौड़ा से मार रहा था।

10. यह कहना सही है कि दुर्गेश ने प्रथम सूचना पत्र एवं धारा 161 का बयान देते समय यह नहीं बताया था कि 06 लोगों के द्वारा उनके एवं उनके पिता ढालसिंग को मारपीट किया गया है।

11. यह कहना सही है कि मैंने प्रार्थी दुर्गेश के बताये अनुसार मैंने सिर्फ तीन आरोपीगण के खिलाफ अपराध कायम किया है, कुल 06 व्यक्तियों के खिलाफ मैने अपराध कायम नहीं किया है।

12. यह कहना सही है कि ढालसिंग एवं उसकी पत्नी लक्ष्मी बाई ने अपने धारा 161 का बयान देते समय यह नहीं बताया था कि रामलाल ढालसिंग को पकड़ लिया था और आरोपी कुलदीप ने फौड़ा से मार रहा था।

13. यह कहना सही है कि मुझे दुर्गेश ने अपने रिपोर्ट दर्ज एवं बयान देते समय 06 लोगों के द्वारा ढालसिंग एवं लक्ष्मी साहू एवं प्रार्थी दुर्गेश के साथ मारपीट किया गया है। यह कहना सही है कि मुझे विवेचना के दौरान मुझे पता चला कि दोनो पक्षों में आरोपीगण एवं प्रार्थीगण के मध्य जमीन संबंधित विवाद का मामला सिविल कार्ट एवं तहसीलदार भखारा के समक्ष चल रहा है एवं दोनो के मध्य पारिवारिक विवाद है।

14. यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा संपूर्ण विवेचना नहीं किया है। साक्षी स्वतः कहता है कि प्रधान आरक्षक दारा सिंह चन्द्राकर के द्वारा किया गया है। यह कहना सही है कि जिस समय ढालसिंग जब रिपोर्ट दर्ज कराने आया था उस समय फौड़ा, रापा, कुदाल की बात से मारने पिटने वाली स्पष्ट बातें नहीं बताया था।

15. यह कहना गलत है कि मैंने प्र.पी.02 का नजरी नक्शा थाना परिसर में मैंने दुर्गेश के बताये अनुसार तैयार किया था। यह भी गलत है कि प्र.पी.02 का अ से अ भाग में दुर्गेश साहू का हस्ताक्षर थाना परिसर में लिया था।

प्रतिपरीक्षण समाप्त करने का समय– 01:32 पी.एम.

वांचित/सत्य स्वीकृत

सही/–
(निलेश कुमार बघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित

सही/–
(निलेश कुमार बघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कुरूद, जिला धमतरी छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर